राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1931/2014..जिला........जयपुर..........

मैसर्स गोयल कलर लैब, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/2017	**खण्डपीठ कैम्प जयपुर** **श्री नत्थूराम, सदस्य** **श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य** अपीलार्थी के अभिभाषक श्री डी. कुमार एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन.के.बैद उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। यह अपील अपीलार्थी व्यवसाई द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 82 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 04.04.2014 द्वारा सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर विभाग, संभाग प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2012 को निरस्त कर अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम जयपुर ने अपने पत्रांक 392 दिनांक 20.06.2017 द्वारा सूचित किया कि प्रतिप्रेषित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 04.03.2016 पारित किया जा चुका है पत्र की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। जिससे यह अपील प्रभावशून्य (infructuous) हो चुकी है तथा इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की। अतः अपील प्रभावशून्य (infructuous) होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	